पञ्जाब जाँच रिपोर्ट

पटेल कमेटी द्वारा लिखित

अनुवादक और प्रकाशक

कांग्रेस बुलेटिन प्रेस

देहली

सन् १९२० ई०

प्रथमावृत्ति २०००] मूल्य [illegible]

है. और साथ ही यह अन्याय सद् विदेशीय शासन ऐसी घटनाओं को अपने कर्मचारियों पर नहीं डालने के लिये प्रगट होते हैं यह स्वाभाविक है,

हम आशा करते हैं. जिस महान परिश्रम के साथ यह रिपोर्ट पटेल कमेटी ने तय्यार की है. उस से भारत की प्रजा यह भलिभांति समझ जायेगी कि गुलाम रहना मरने से भी ज्यादा बुरा है,

हम अंग्रेजी रिपोर्ट के प्रकाशकों का और अपने सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन की कृपा से हम सफलता पूर्वक ऐसा कर पाये,

जहां कहीं अशुद्धि रह गई हो या अनुवाद में भूल हो उस के लिये सहृदय पाठक हमें क्षमा करेंगे।

भवदीय

प्रकाशक और अनुवादक

पटेल पेशावर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

तारीख २३ अप्रैल सन् १९३० को पिशावर में जो गोलियाँ चलीं, उस की तफ्तीश करने के लिये, भारतीय काँग्रेस कमेटी के ऐक्टिंग प्रेज़ीडैन्ट पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक जाँच कमेटी श्री विट्ठल भाई पटेल के सभा पतित्व में बैठाई, जिस को काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ता० २४ मई सन् १९३० के दिन मँजूर कर लिया और नीचे लिखे मैम्बर बनाये गये।

श्री युत विट्ठलभाई पटेल - सभापति
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
सरदार सारदुलसिंह कवीश्वर
ला० दूनीचन्द लाहौर वाले
डाक्टर सय्यद महमूद

इस के अलावा कमेटी को और भी मैम्बरज़ बनाने का अधिकार दिया गया। [illegible] प्रेज़ीडैन्ट प० मोतीलाल नेहरू [illegible] कमिश्नर को लिखा, कि कमे[illegible]के लिये पेशावर जाने देना चाहिये, और सरकार की तरफ़ से अपना पक्ष उपस्थित करने के लिये अधिकारियों को भेजना चाहिये। इस की नकल एक वायसराय साहब को भी उन्हों ने भेज दी, काँग्रेस के ऐकटिंग प्रेज़ीडेन्ट को सरहद के चीफ़ कमिश्नर और वायसराय ने कहा," कि कमेटी के प्रेज़ीडेन्ट को और सभासदों को सरहद में दाखिल

जा दिया जायगा"। इस से कौंसिल के प्रेज़ीडेन्ट पं० मोती लाल नहरू ने पेशावर जांच कमेटी के प्रेज़ीडेन्ट श्री युत विट्ठल भाई पटेल को कहा, कि सरहद के बाहर जहां जो मुनासिब समझें वहां कमेटी बुला कर तहक़ीक़ात शुरू करें। इस से कमेटी के प्रेज़ीडेन्ट ने ऐलान किया, कि २१वीं मई सं० १९३० और उस के बाद कमेटी की नियमित रूप से बैठक रावलपिंडी में शुरू हो जायेगी। जिन लोगों को अपना बयान देना है, वह उस समय उपस्थित हो जायें, या अपना लिखित बयान पेश करें, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डाक्टर सय्यद महमूद ता० २१वीं मई को रावलपिंडी में कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए, एक सय्यजमियत उलमा के प्रेज़ीडेन्ट मौ० मुफ़्ती किफ़ायत उल्ला को और लिया गया। कुल १० गवाहियां ली गईं। ४ जून सन् १९३० को कमेटी ने अपना काम समाप्त किया। ता० ३ जून को रात्रि के ११ बजे कमेटी के एक सभ्य सरदार सारदुल सिंह को पंजाब की पुलिस ने पकड़ लिया। सरहद के लोगों की तरफ़ से मि० जीवन लाल कपूर बैरिस्टर हाज़िर थे, सरकार ने कमेटी के सामने अपना मुक़द्दमा रखने से इन्कार किया। इस लिये कमेटी के प्रेज़ीडेन्ट मि० विट्ठल भाई पटेल ने प्रसिद्ध वकील दीवान दौलतराम को सरकार की तरफ़ से गवाहों पर जिरह करने के लिये, और बहस करने के लि-

से, जिस से कि सत्य निर्णय में सुभीता हो, बनाया, दीवान साहब पूरे वक्त सरकार के लिये काम करते रहे, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरकार की तरफ़ से जिरह की, और बहस की, कमेटी ने सरकार की तरफ़ से जो कम्यूनिक निकले उनको देखा, और सुलेमान कमेटी के सामने जो गवाहियां दी गईं और उन का खुलासा जो पेपर में निकला था, उस को अपने सामने रखा हुआ था, कमेटी ने इस तरह से विरुद्ध पक्ष को, अपने सामने लाने के लिये, जो कुछ उन से हो सकता था, किया, सरकार ने टाइम्स पर ता० ६ मई को अपना मुकद्दमा पूरा २ सामने रखा। उस का सार यह है कि थोड़े दिन से कांग्रेस और नौजवान भारत सभा सरहद में अशान्ति पैदा करने की कोशिश कर रही थी, वो मामूली शिकायतों को गम्भीररूप दे कर गांवों में साम्यवाद के सिद्धान्तों को फैला रही थी। सरकार ने इस से ११ आदमियों को पकड़ने के लिये वारंट निकाले, और ६ को ता० २२ अप्रैल की रात को पकड़ लिया, डि० कमिश्नर को ऐसी खबर दी गई, कि बाकी के दो लीडरों को ता० २३ अप्रैल के दिन सवेरे पकड़ा, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती उन को पुलिस के कब्ज़े में से छुड़ा लिया। इस से डिप्टी कमिश्नर तीन मशीन गनें ले कर काबुली दरवाज़े की तरफ़ गया, रास्ते में उन को खबर

मिली कि दोनों लीडर पुलिस के कब्ज़े में आ गये हैं, और रास्ते में ही उन को डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मिले, और उन्हों ने कहा काबुली दरवाज़े में बहुत सोर लोग जमा हैं, और उत्तेजित हो रहे हैं। पुलिस मामले को शान्त कर सके, ऐसी हालत नहीं रही है। मेरे को भी, उसने कहा, लोगों के फेंके हुए पत्थर से चोट लगी है। इस से डि० कमिश्नर तीनों मशीनगनें ले कर काबुली दरवाज़े से अन्दर आया, उसने पीछे फिर कर देखा तो एक मशीनगन अटक गई थी, और डिस्पेच राइडर उस के बीच के पहिये के नीचे आगया, ऐसा कहा जाता है, कि लोगों में से किसी ने उस को मारा. इस लिये साइकिल से वो नीचे गिर गया, और मशीनगन उस के ऊपर फिर गई, एक दो आदमी खड़े हुवों में से भी मशीनगन के नीचे आ गये। डि० कमिश्नर लोगों से बातें करने जा रहे थे, तब भीड़ में से लोगों ने उन के ऊपर पत्थर फेंके, और मशीनगन के फ़ौजी अफ़सर पर भीड़ में से लोगों ने हमला किया। और उस की पिस्तोल लेने की कोशिश की, डि० कमिश्नर ईंट लगने से बेहोश हो गया. और उस को बेहोशी की हालत में पुलिस-स्टेशन ले जाया गया। इसी समय भीड़ ने एक मशीनगन को आग लगादी, उस के ऊपर से एक फ़ौजी आदमी दूसरी मशीनगन पर जा

रहा था, तब लोगों ने उस के ऊपर हमला किया उस का पिस्तौल चलाने पर छुटकारा हो सका डि० कमिश्नर ने होश आने पर, गोली चलाने का हुक्म दिया और भीड़ फ़ौरन भाग गई, फिर शहर के अलग २ हिस्सों में कहीं कहीं झगड़ा हुवा, और गोली चलानी पड़ी, फिर शान्ति बनाये रखने के लिये ऐसा किया गया। लोगों को यह चेतावनी दे दी गई थी, कि यदि वो नहीं बिखर जायेंगे, तो गोली चलाई जायेगी। फलस्वरूप जो लोग ज़ख़्मि हुए उन्होंने अस्पताल में जा कर अपना इलाज कराने से इन्कार कर दिया, ता० २६ अप्रेल को और उस के पीछे पेशावर कांग्रेस कमेटी ने हस्तपत्र और जाहिरनामे निकाल कर यह कहा कि तरंगजई का हाजी हमारे बुलाने से पेशावर ज़िले में दाख़िल होने के लिये फ़ौजें इकट्ठी कर रहा है। कांग्रेस और नौजवान भारत सभा ने सरकार के ख़िलाफ़ बलवा जगाने की कोशिश करी इस से सरकार ने इन संस्थाओं को ग़ैर क़ानूनी क़रार दे दिया। ता० ४ मई सं० १९३० को शहर को फ़ौज ने दोबारा क़ब्ज़ा लिया और पुलिस ने फ़ौज की मदद से बहुत आदमियों को पकड़ा और तलाशियां लीं।

प्रजा की तरफ़ का मुक़द्दमा

कमेटी के सामने जो गवाहियाँ दी गई हैं,

उन के ऊपर से नीचे के मुताबिक मुकद्दमा है.

सन् १९२०-२१ में असहयोग के ज़माने के बाद सरहद के प्रान्तों ने कांग्रेस के अन्दर भाग लेना शुरू किया। पर उस वक्त यह दिलचस्पी महज़ शहरों में थी, गाँवों में उस वक्त यह दिलचस्पी नहीं पहुंच सकी, एक दो वर्ष से इलाके में बहुत जागृति हो गई, इसी वक्त काँग्रेस ने आज़ादी के लिये युद्ध शुरू किया, और उसी समय जनता स्वतन्त्रता के निमित्त प्राण देने को तय्यार होगई। काँग्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त का जनता पर जादू जैसा असर हुवा स्त्री, पुरुष और बच्चों पर भारी जुल्म होते हुए भी उन्हों ने अहिंसा को पूरी पाला, यह परिणाम महात्मा जी की शिक्षा का हुवा। पेशावर ज़िले के भारी ज़मिंदार खान अब्दुल ग़फ़ार खां हैं। उन के शब्दों को वहां की प्रजा नियम के अनुसार समझती है. और वो महात्मा जी के बड़े अनुयायी हैं, वो खादी और गांधी टोपी पहनते हैं। उन के साथियों की तादाद हज़ारों की है। काँग्रेस के युद्ध के लिये उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की संस्था बनाई, इस सभा के सभासदों की संख्या प्रायः एक लाख है. इन सब ने अहिंसक रहने की सौगन्ध ली हुई है. लाहौर की काँग्रेस में वहां के बहुत आदमी आये थे, और काँग्रेस का काम दुगने ज़ोर से करने का विचार कर के सरहद में वापिस गये। इस सारी हिलचाल में सरकार को डर मालूम हुवा,

उसने कॉंग्रेस की संस्थाओं का नाश करने और अब्दुल गफ़्फ़ार खॉं की ताकत तोड़ने की नीति इख़्तियार की। इस नीति के प्रमाण स्वरूप पेशावर और पेशावर जिले में दमन शुरू किया गया। ता० ५ अप्रेल को कॉंग्रेस कमेटी ने शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करना ते किया, परन्तु यह ता० २३ अप्रेल तक मुल्तवी रखा गया। ता० २२ अप्रेल को सरहद के प्रान्तों में कानूनों की तहकीकात करने के लिये कॉंग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को आते हुए अटक में रोक लिया गया, यह खबर जब पेशावर में पहोंची, तो शहर में एक बड़ा जलूस निकला और शाम को शाही बाग़ में सरकार के हुक्म के खिलाफ़ विरोध दर्शाने के लिये एक बड़ी सभा हुई। और ता० २३ अप्रेल से शराब की दूकानों पर पिकेटिंग शुरू करना ते पाया अधिकारियों ने रात को शहर के ६ लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया और मालूम हुवा कि दो और लीडरों के नाम के वारंट हैं। शहर में हड़ताल हो गई, सवेरे ६ बजे शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करने के लिये जाते हुए स्वयम सेवकों को बिदाई देने के लिये भीड़ जमा हो गई। इसी समय सबइन्स्पेक्टर पुलिस ने कॉंग्रेस आफ़िस में आन कर बतलाया, कि दो लीडरों के वारंट हैं, यह जानते ही वो दोनों नेता आ कर पुलीस की लारी में बैठ गये। थोड़ी दूर

चल कर पुलिस की लारी का पहिया फट गया तो पुलिस ने दूसरी लारी मंगवाई, परन्तु नेताओं ने कहा कि हम पैदल ही चलेंगे, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और दोनों नेता प्रोसेशन के रूप में दरवाज़े के थाने पर पहोंचा दिये गये, और थाने का दरवाज़ा बन्द कर लिया गया, उसी समय डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस आ गये और उन्हों ने लोगों की राष्ट्रिय आवाज़ें सुनी। तब सबइन्सपेक्टर पुलिस ने लोगों से कहा कि शान्ति से अपने अपने घर चले जाओ, नेता थाने में रख लिये गये। तभी भीड़ "इन्कलाब ज़िन्दाबाद" "महात्मा गाँधी जी की जय" के नारे लगाते हुए जाने लगे, इतने में एकाएक मशीन गनें आ गईं, वह बिना हार्न बजाये परिणाम का विचार बिना किये लोगों की भीड़ में घुस गईं, कितने ही उस के नीचे आ कर कुचल गये, और कितने ही मर गये, भीड़ बिना हथियार के थी, उस के पास लाठी, पत्थर, ईंट, या और कोई हथियार नहीं थे, इतनी उत्तेजना दिलाये जाने पर भी उन्होंने अपने ऊपर पूरा अधिकार बनाये रखा, कुछ ने मशीनगनों के सामने जा कर ठहराने के लिये दरख्वास्त की, और घायलों तथा मरे हुवों को उठाने लगे, इतने में एक अँग्रेज़ मोटर साइकिल पर आया, और उस की साईकिल मशीनगन से टकरा गई, साइकिल टक्कर से वो मशीनगन से नीचे गिरा,

और मशीनगन उस के ऊपर से चली गई। मशीनगन से गोलियाँ छोड़ी गईं और एक मशीनगन में अकस्मात आग लग गई। डि० कमिश्नर मशीनगन में से उतर कर थाने में जा रहे थे, तब उन का पैर फिसल गया और उस से वो गिर पड़े गिरने से वो बेहोश हो गये, परन्तु एक मिनिट के अन्दर वह होश में आगये, और उन्होंने होश में आते ही गोलियाँ चलाने का हुक्म दिया, इस से कितने ही मारे गये और कितने ही घायल हुए भीड़ शान्त थी उन्होंने ने कहा, कि मशीनगनें हटा लो, और ज़ख्मियों को और मरे हुवों को हमें ले जाने दो, तो हम जा रहे हैं! लेकिन सरकार ने मशीनगनें और फ़ौज वहां से नहीं हटाईं, इससे लोगों ने छाती में गोलियाँ खानी मंज़ूर कीं!

तीन घंटे तक गोलियाँ चलीं

दूसरी बार गोली चली और वह तीन घंटे तक चलती रहीं, गोलियाँ सिर्फ़ बाज़ार में ही नहीं, गलियों और कूचों में भी चलाई गईं, जिस से बहुत आदमी मारे गये, और घायल हुए, एक गवाह के कहने के मुताबिक़ २००, ३०० आदमी मारे गये, और बहुत सारे आदमी घायल हुए, ५ या ६ खिलाफ़ती स्वयम सेवक लाश उठाते हुए मारे गये, इस से लाशें नहीं उठा सके, और लाशों को नामालूम जगहों पर लेजा कर जला

दिया गया, खिलाफ़ती स्वयम् सेवकों ने सिर्फ़ गलियों में से लगभग ६० लाशें उठाईं, घायलों की देखरेख के लिये लेडी रीडिंग अस्पताल में डा० खान साहब की मदद से बड़ी कठिनता से जगह मिली। सरकार ने घायलों को तात्कालिक मदद पहोंचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया, शाम को कांग्रेस आफ़िस पर धाड़ ले जा कर फ़ौज ने झंडा, बिल्ले वग़ैरः उठा लिये। उस के बाद ७ दिन तक पेशावर ज़ुल्म के सबब से रौरव नरक हो गया था, इस के बाद फ़ौज वहां से चली गई, फिर चार मई को कांग्रेस और यूथ लीग के आफ़िस पर छापा मारा शहर उस के बाद फ़ौजी अमलदारी में है, पेशावर में किसी की जान माल सही सलामत नहीं थी. तारीख़ ३१ मई को सुलेमान कमेटी तहक़ीक़ात कर रही थी. जब अंग्रेज़ सिपाही के हाथ से लगी हुई गोली से मरे हुए बालक को शमशान में ले जाते समय लोगों पर अकारी गोली चलाई गई, जिस से ६ आदमी मरे और बीस घायल हुए, इस प्रान्त में बाहर के लोगों का आना मना कर दिया गया, वहां किये गये ज़ुल्मों को छिपाने के लिये किसी नेता को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लोग ऐसी हालत में भी शान्त रहे!

"प्रधानविचार"

(१) ता० २३ अप्रैल को पेशावर में मशीनगनों और फ़ौज द्वारा गोली चलवाने का मामला था क्या ?

(२) गोली चलवाने से पहले क़ायदा और क़ानून का पालन किया गया था ?

(३) क्या फ़ौजी ताक़त काम में लाये बिना मामला शान्त हो सकता था ?

(४) मशीनगनों और फ़ौज ने क्या थोड़ी से थोड़ी गोलियाँ चलाईं ?

(५) नुक़सान कितना हुवा ?

हमारे सामने ली हुई गवाहियों पर से इस बात को तै करना है। मशीनगनों के आने से पहले सरकार के सामने ये बातें रखी गईं।

(१) लोगों ने जबरन दो नेताओं को छुड़ा लिया है

(२) लोगों ने डि० सुपरिन्टेन्ट पुलिस को पत्थर मारा है.

(३) शहर में भारी झगड़ा हो गया है।

(४) लोगों के पास लाठी, सलाकें, कुल्हाड़ा, लकड़ियां वग़ैरा थीं और वोह मारते थे।

लोग कहते हैं कि ये सब आक्षेप झूठे हैं. निर्दोष जनता के क़त्ल को जाइज़ ठहराने के लिये ख़ास बरबाह बनाये गये हैं, सच तो यह है। लोग बिलकुल शान्त, और अहिंसक थे और नेताओं को थाने में पहोंचाने के बाद अपने २ घर जा रहे थे, इतने में एकाएक मशीनगनें भीड़ में घुस गईं। अधिकारियों ने जो तोहमतें लोगों

पर लगाई हैं वोह बिल्कुल ग़लत है ये हमारे सामने दी गई, काफ़ी शहादतों से सबूत होता है इन साक्षियों मैं प्रधान नम्बर १८ का शाक्षी अब्दुल-करीम है, इस शाक्षी की नं० ९. ८, २०, २४, ३२, ६२, और ६४ के शाक्षियों ने ताईद की है!

सुलेमान कमेटी के सामने गवाही देते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट मि० सादुल्ला ख़ाँ ने कहा है कि पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ बिल्कुल शान्त थी उस के पास कोई हथियार नहीं थे, मशीनगनों के आने से पहले वोह अपने-अपने घरों को जा रहे थे, सुलेमान कमेटी के सामने किसी गवाह ने यह नहीं कहा कि भीड़ में से किसी ने शस्त्र से चोट पहोंचाई हो लोग निहत्थे थे उन के पास किसी तरह के शस्त्र नहीं थे, इस का मज़बूत सबूत यह है कि दो गढ़वाली फ़ौजी सिपाहियों की टुकड़ीयों ने निहत्थे और शान्त लोगों पर गोली चलाने से इन्कार किया हमारे सामने जो फ़ोटो लाई गई है, और सुलेमान कमेटी के सामने भी वह लाई गई थी, उस से भी यह प्रगट होता है, कि किसी के पास लाठी अथवा कुल्हाड़ी वग़ैरा न थी!

"निर्णय"

हमारे सामने दी गई गवाहियों पर से हमें निम्न लिखित नतीजों पर पहोंचने में कोई कठिनाई नहीं होती!

(१) ता० २३-अप्रैल को सवेरे काबुली दरवाज़े के आगे किसी तरह का हुल्लड़ नहीं था।

(२) लोगों ने पुलिस के क़ब्ज़े में से दो नेताओं को नहीं छुड़ा लिया था।

(३) डिपटी सुपरिन्टेन्ट पुलिस के किसी ने भीड़ में से पत्थर नहीं मारा।

(४) लोगों के पास लाठी वग़ैरः कोई हथियार नहीं थे।

(५) लोग शान्त थे और नेताओं को थाने में दाख़िल करने के बाद अपने-अपने घरों को जा रहे थे।

मशीनगनें आईं और उसके बाद

काँग्रेस के नेताओं को थाने में ले लेने के बाद लोग अपने घरों को जाने लगा, इतने ही में मशीनगनें बिना किसी तरह का हार्न बजाये लोगों की भीड़ में घुस आईं, जिस से १२ या १४ आदमी पहियों के नीचे आ कर पिस गये ६: ७ मारे गये, और बाक़ी बहुत ज़्यादा ज़ख़्मी हुए, लोगों ने क़ुदरती तौर पर इस की मुख़ालिफ़त में नारे लगाये। सरकार की ता० २३, २७ और २८ अप्रैल की किसी भी यादगार में इस करुणाजनक दृश्य का वर्णन नहीं है, ऐसोसियेटेड प्रेस के पेशावर के प्रतिनिधि ने हमारे सामने गवाही

देते हुए कहा, कि मैंने जो खबर प्रेस में भेजी है अखबार के देखने से यह मालूम होता है कि वो निकाल दी गई है, प्रतिनिधि के कहने के मुताबिक सेन्सर ने उसके तारों में काट छांट की है, पीछे से सारे भारत में जब यह खबर फैल गई, तब सरकार ने यह कहा है, कि मशीनगनों के नीचे एक दो आदमी मारे गये हैं। हमारे सामने जो गवाहियां मौजूद हैं वैसी ही शहादतें इस के मुताल्लिक सुलेमान कमेटी के सामने कलमबन्द हुई हैं। एक गवाह जुम्मा खां ने कहा है कि दूसरी मशीनगन ने मेरे को और दूसरे चार आदमियों को कुचल दिया था। मि० सय्यद अकबर कहते हैं, कि मैं रास्ते पर जा रहा था, उस वक्त मुझे पीछे से मशीनगन ने आ कर जख्मी कर दिया!

"सरकारी कान्ट्रेक्टर क्या कहता है"

सरकारी कान्ट्रेक्टर मि० अब्दुल हमीद कहते हैं कि मशीनगनें भीड़ में बुरी तरह घुस आईं, और लोगों को कुचल दिया पुलिस के सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मी० फरस ने कहा है, कि उसने दो आदमियों को दूसरी मशीनगन के नीचे इस तरह से आया हुवा देखा कि जिन के ऊपर से मशीनगन के आगे के पहिये फिर गये हों, सिटी मजिस्ट्रेट मि० सादुल्ला खां ने कहा है कि उन्होंने तीन मशीनगनों और दो हिन्दुस्ता-

नियों को रास्ते के ऊपर पड़ा हुवा देखा। मि० जस्टिस रेनकीज़ के सवाल के जवाब में पहली आरमर्ड कार के बड़े केप्टिन मि० किंग ने कहा, कि भीड़ सामने खड़ी थी और मशीनगनें आगे दौड़ रही थीं। इतनी मुख़ालिफ़ गवाहियों के होते हुए भी, डि० कमिश्नर मि० मेटकाफ़ जो कि शहर में मशीनगनें लाने का ज़िम्मेवार है, वह सलेक्शन कमेटी के सामने कहता है, कि मशीनगनें धीरे धीरे चलती थी और भीड़ को देख कर ठहरती थीं। साथ ही लोग उनको रास्ता भी देते थे इस से मेरे को विश्वास है, कि मशीनगनों से किसी को चोट नहीं आई। इस में आश्चर्य नहीं है, कि पहली तीन सरकारी यादृदाश्तें इस विषय में बिल्कुल चुप हैं और चौथी याददाश्त जो कि मि० मिड़ की है उसमें इस को बहुत मामूली बताया गया है।

क्या मशीनगनें चेतावनी के लिये लाई गई थीं?

यह दलील नहीं हो सकती कि यह मशीनगनें सिर्फ़ चेतावनी के लिये काबली दरवाज़े के आगे लाई गई थीं। कारण कि यदि ऐसा होता तो यह इस तरह से दूर रखी जातीं कि ज़रूरत के समय फ़ौरन लाई जा सकें। लोगों के

अन्दर तेज़ी से दौड़ी हुई यह मशीनगनें गईं और लोग मार गये और ज़ख़्मी हुए। इस से प्रगट होता है सिर्फ़ चेतावनी का विचार नहीं था। इस कमेटी के सामने जो आँखों से देखी गवाहियाँ हुई हैं और सुलेमान कमेटी के सामने मैजिस्ट्रेट सादुल्ला ख़ाँ ने और दूसरों ने जो कहा है, उस से यह जाना जाता है कि डि० कमिश्नर ने लोगों के ऊपर यदि इस तरह से मशीनगनें नहीं दौड़ाई होतीं तो अपने २ घरों को जाते हुए वह भीड़ निश्चय बिखर जाती। पेशावर ब्रिगेड के बड़े मेजर सैन्डला लैन्डरज़ सलेमान कमेटी के सामने कहते हैं कि स्थिति को पूरी तरह समझे बिना मशीनगनें काबली दरवाज़े पर लाई गईं

मशीनगनें लाने के मुताल्लिक़ कमेटी के निर्णय

इस से हम बिना सन्देह निम्न लिखित निर्णय पर पहोंचते हैं।

(१) डि० कमिश्नर ता० २३ अप्रैल को सवेरे दस बजे छावनी में से शहर में ३, ४ मशीनगनें लाया। लोगों को चेतावनी दिये बिना वह भीड़ में घुस गईं। इस के परिणाम स्वरूप एक या दो मशीनगनों के पहियों के नीचे आ कर १२ या १४ आदमी कुचले गये, उस में से ६ : ७ उसी समय

मर गये, बाकियों के भारी चोट आई।
(२) बाहर के लोगों से, और उच्च अधिकारियों से यह बात छिपाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया।
(३) सिटी मैजिस्ट्रेट जो वहां हाज़िर था उसने सलाह दी थी कि लोग अहिंसक और निशस्त्र हैं, और अपने-अपने घरों को जा रहे हैं, फौज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होते हुए भी डि० कमिश्नर मशीनगनें दरवाज़े के अन्दर ले गया।
(४) डि० कमिश्नर वहां मशीनगनें चेतावनी के लिये नहीं ले गया। वास्तव में लोगों में नैतिक असर पैदा करने के लिये ले गया था।
(५) जो मशीनगनें परिणाम सोचे बिना भीड़ में नहीं दौडाई जातीं तो उस दिन बने हुए दुखजनक बनाव नहीं बनते।

"डिस्पैच राइडर कैसे मरा"

हमारे सामने गवाही देने वालों में ज़िम्मेवारी पूर्वक कहा है कि एक योरोपियन डिस्पैचराइडर पहली मशीनगन के पीछे मोटर साइकिल पर दौड़ा हुवा आता था मशीनगन लोगों के बीच में घुसी और कुछ आदमियों को कुचलने के बाद जब वह कुछ पीछे हटी, तब राइडर उसके साथ टकरा कर गिर पड़ा और उसी से कुचल कर मर गया।

इस कमैटी के सामने गवाही देते हुए तीसरे गवाह पीर बख़्श ने कहा है, कि राइडर को उसने इस तरह से पड़ते हुए, और कुचला जाते हुए देखा था, राइडर को किसी ने मारा नहीं, मैं पास ही खड़ा था अगर कोई मारता तो मैं बहुत ही अच्छी तरह देख सकता था, लोग वहाँ ऐसे ही इकट्ठे हो गये थे, और वो निशस्त्र थे, अट्ठारवाँ गवाह अब्दुल करीम कहता है, कि राइडर दो मशीनगनों के बीच में था, पहली गाड़ी के नीचे लोगों के आजाने से बहुत हुल्लड़ हुवा, तब पहली गाड़ी पीछे हटाई गई, उस से राइडर गिर पड़ा, और गाड़ी उसके ऊपर से चली गई, ८, १० और १४ नम्बर के गवाह भी ऐसा ही कहते हैं, परन्तु २६ नम्बर का गवाह कुछ सन्देह उत्पन्न करता है, उस के कहने के मुताबिक तीनों मशीनगनें एक दम लोगों के ऊपर से फिर गईं, बहुत सारे आदमियों के हाथ, पैर और खोपड़ी कुचली गई, दूसरी मशीनगन पहली मशीनगन के साथ टकरा गई, एक गोरा मोटर साईकिल पर पहली मशीनगन के पीछे था, दोनों मशीनगनों के टकराने से वह गिर पड़ा और दूसरी मशीनगन से कुचला गया।

सुलेमान कमेटी के सामने इस सम्बन्ध में उल्टी सुल्टी गवाहियाँ हुई हैं, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० फ़क्स कहता है कि मैंने पहली

मशीनगन के नीचे राइडर को पड़े हुए देखा। अधिकारियों ने कहीं नहीं कहा है कि लोगों ने उसको मारा, पर भीड़ में से एक आदमी ने उसके माथे पर चोट मारी और वो साइकिल पर से गिर पड़ा, और मशीनगन उस के ऊपर से चली गई ऐसा कहा गया है। यह बात इस घटना के दो हफ़्ते बाद ६ मई को एक याददाश्त में कही गई है। इस से साफ़ ज़ाहिर है, कि उस समय तक अधिकारी इस का निर्णय नहीं कर सके थे, किन्तु इस सूचना का भी कोई समर्थक नहीं है. सुलेमान कमेटी के सामने कोई स्वतन्त्र गवाही नहीं हुई है। पुलिस सब इन्सपेक्टर मि. अलाउद्दीन शाह कहते हैं कि साइकिल और सिपाही दोनों को उसने एक मशीनगन के नीचे देखा।

इन सब बातों पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहौंचे हैं कि भीड़ में से राइडर के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया और नहीं किसी ने उस को मारा। मशीनगन के साथ टकरा जाने से वह गिर गया। और मशीनगन उस के ऊपर से चली गई।

"मशीनगन में आग कैसे लगी"

दूसरी ख़तरनाक घटनाओं के मुतल्लिक ता० २३. २७ और २८ अप्रैल की याददाश्तों

सरकारी जिस तरह से चुप हैं, उसी तरह से इस विषय में भी चुप है! तारीख ६ मई की याद्दाश्त में सरकार ने कहा है, कि लोगों ने मशीनगन को आग लगा दी। लोग यह जानते हुए कि मशीनगनें गोली छोड़ कर मार सकती हैं, मशीनगन के नज़दीक जा कर आग लगाये, ये समझना बहुत कठिन है, यह बात मानी जा सके, ऐसी नहीं है। क्योंकि लोग मशीन को दिन दहाड़े आग लगाते हों। बड़े २ अफ़सर सामने खड़े हों, और बहुत सारी पुलिस हो, वह ऐसी बात को चुप चाप कैसे देख सकती थी, यह आक्षेप लगाने की सरकारी गवाहियाँ संतोष जनक नहीं हैं। ऐसिस्टैन्ट कमिश्नर मि० कोष कहते हैं, कि लोगों ने राइडर की लाश के साथ मशीनगन में तेल डाल कर आग लगा दी। दूसरे कैपटिन सोर्ठ कहते हैं कि लोगों ने मशीनगन के नीचे घुस कर आग लगाई दोनों में से किसी भी अधिकारी ने ऐसा करते हुए लोगों को क्यों नहीं रोका, इसका खुलासा नहीं बतलाया जाता है। यदि लोगों ने ऐसा किया होता। तो सरकार और प्रजा के बहुत सारे लोगों ने देखा होता। परन्तु सुलेमान कमेटी के सामने इस सम्बन्ध में सरकार एक भी स्वतंत्र गवाह न ला सकी।

लोगों पर गोली चलाने का एक मुख्य

कारण, मशीनगन को आग लगाया जाना बतलाया जाता है. पर यह बहुत आश्चर्य-जनक है कि, पहली तीन सरकारी याददाश्तें इस विषय में कोई भी इशारा नहीं करतीं, जब कि डेप्युटी कमिश्नर और डि॰ कमिश्नर के चोट लगने की मामूली बातें भी उसने लिखी हुई हैं। दूसरी तरफ इस कमेटी के सामने दी गई गवाहियों में से किसी ने भी यह नहीं देखा बतलाया, कि लोगों में से किसी ने मशीनगन को आग लगाई हो।

अट्ठारवाँ गवाह अब्दुल करीम कहता है, जब कि भीड़ मरे हुओं को और ज़ख्मियों को उठा रही थी उस समय एक मशीनगन को आग लगी उस पर से चार ब्रिटिश सिपाही भाग उसी समय दूसरी मशीनगनों ने भी गोलियाँ चलानी, और आगे बढ़ना शुरू किया-

स॰ उस वक्त मशीनगन को आग कैसे लगी?

ज॰ उस को आग आप ही लगी, पेट्रोल की टंकी में आग लगा जाने से या और किसी तरह से यह मैं नहीं कह सकता, पर इतना मैं कह सकता हूं कि मशीनगन के नज़दीक कोई आँच नहीं थी, या कोई आदमी कपड़े या आँच वहाँ नहीं लाया. जब उस में से आग की लपटें निकलने लगीं उस वक्त उस में से चार सिपाही

बाहर आये !!

इस गवाह की ताईद में नं० ३,१,२६, २५ और दूसरे गवाह भी हैं।

इन सब बातों से हम इस नतीजे पर आये हैं, कि लोगों में से किसी ने मशीनगन को आग नहीं लगाई। यह कहना कि मशीनगन को लोगों ने आग लगाई है बिल्कुल गलत है हम ऐसा सोचते हैं कि व्यर्थ गोली चलाई गई और उस को ढकने के लिये पीछे से यह बात बनाई गई है।

भीड़ की तरफ़ से पत्थर फेंकने का आक्षेप

मशीनगनें आईं उस समय भीड़ बिना हथियारों के और शान्त थी यह हम मानते हैं डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को लोगों के फेंके हुए पत्थर से चोट आई यह ठीक नहीं है। सरकार कहती है कि डि० कमिश्नर के लोगों के फेंके हुए पत्थर से चोट आई, और वह बेहोश हो गये। इस की बाबत यह है कि हमारे सामने अनेक गवाह कहते हैं कि लोगों ने ऐसा नहीं किया सड़क पर कोई संवारने का काम नहीं चल रहा था जिस से कि पत्थरों का ढेर जमा हो। लेकिन

कुछ गवाह कहते हैं कि मरे हुवों और ज़ख्मियों को न उठा देने के कारण भीड़ कुछ उत्तेजित हो गई थी। और छोटे २ कुछ कंकर उठा कर चन्द लोगों ने फेंके। इस से ईंट पत्थरों की मार हुई. यह अधिकारियों का कहना मंज़ूर करने के क़ाबिल नहीं है, पर डि० कमिश्नर थोन की पगड़ी पर बेहोश हो कर गिर पड़े ऐसी गवाही पर विचार करते जाना जाता है कि इन को एक आध कंकड़ लगा होगा परन्तु हमारे पास इस बात के लिये सबूत हैं कि भीड़ में से मशीनगन के फिर जानेसे मरे हुए और ज़ख्मि लोगों को देख कर के कुछ लोग उत्तेजित हुए और उन्होंने जो कुछ उन लोगों के हाथ लगा उन्होंने फेंकना शुरू किया परन्तु भीड में से ज़िम्मेवार लोगों ने और लोगों को अहिंसक रहने के लिये समझाया।

ख़ास हालात के लिये कमेटी का निर्णय

इस से हम ख़ास हालात की बाबत जिस निर्णय पर आये हैं उस का सार निम्नलिखित है

(१) ता० २३ अप्रेल को सवेरे काबली दरवाज़े पर कोई उपद्रव नहीं था।

(२) पुलिस के कबज़े में से दो नेताओं को लोगों ने नहीं छुड़ाया था।

(३) डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के लोगों ने कोई पत्थर नहीं मारा।

(४) लोगों के पास लाठी, लाकड़ी वगैरा कोई हथियार नहीं था।

(५) लोग अन्त तक अहिंसक थे और नेताओं को थाने में ले लेने के बाद अपने घरों को वापिस जा रहे थे।

(६) डि० कमिश्नर ता० २३ अप्रेल को सवेरे, जिस समय लोग अपने घरों को जा रहे थे, उस समय तीन चार मशीनगनों को छावनी में से ले कर शहर में घुस आया और लोगों को चेतावनी दिये बिना मशीनगनों ने कुचल दिया। परिणाम स्वरूप मशीनगनों के पहियों के नीचे आ कर बारह चौदह आदमी कुचले गये जिस में से ६, ७ तुरन्त मर गये और बाकी सख्त ज़ख्मी हुए।

(७) ऊपर के हालात से बाहर की प्रजा और कदाचित उच्च अधिकारियों को भी नावाकिफ़ रखने के लिये प्रत्येक कोशिश की गई।

(८) सिटी मेजिस्ट्रेट जो कि वहां था, उसने सलाह दी थी कि लोग अहिंसक हैं और अपने घरों को जा रहे हैं अतः अधिक फौजी मदद की ज़रूरत नहीं है तो भी डि० कमिश्नर मशीनगनें आबली दरवाजे लगा

(९) डि० कमिश्नर यह मेशीनगनें चेतावनी के लिये नहीं लाया था परन्तु लोगों में धाक बैठाने के लिये लाया था।

(१०) मशीनगनों को बीराणाप की परवा कियेबिना लोगों पर छोड़ा दिया यदि ऐसा नहीं होता तो उसी दिन जो पीछे हृदय विदारक दृश्य दिखाया गया वह नहीं दीखता।

(११) डिस्पेच राईडर के माथे में भीड़ में से किसी ने नहीं मारा परन्तु वह मशीनगन के साथ टकरा कर गिर पड़ा और उस के ऊपर से एक मशीनगन फिरगई।

(१२) मशीनगन को जलाने का आक्षेप लोगों के ऊपर लगाना बिलकुल ग़लत है अधिकारियों ने जो गोलियां बिलकुल निरर्थक चलाई हैं उस को ढकने के लिये पीछे से यह कहानी बनाई गई मालूम होती है।

(१३) डि० कमिश्नर के ऊपर भीड़ में से फेंके हुए पत्थर से चोट आई है।

गोली चलाई गई

यदि इस बात को एक तरफ़ रहने दिया जाये कि सब से पहले मशीनगन के एक सिपाही ने अपने बचाव में गोली चलाई, तो भी दो बार का गोली चलाना मंज़ूर कि-

या गया है। पहले चार गोलियाँ प्रातः १०॥ बजे से १२ बजे तक चलती रहीं। दूसरी बार दिन के १॥ बजे से शाम को पांच बजे तक गोलियां चलती रहीं, पहले चार मशीनगनोंसे गोलियाँ चलाई जाना ही कहा जाता है, पर हमारे सामने जो साक्षी आये हैं, उन पर से हमें ऐसा लगता है कि साथ २ फौज की तरफ से भी गोलियाँ चलाई गई हों। दूसरी बार तो बहुत देर तक गोलियाँ चलती रहीं। और वो मशीनगनों और फौजी सिपाहियों द्वारा बहुत ज़्यादातादाद में चलाई गईं।

पहली बार का गोली चलाया जाना

काबली दरवाजे आगे जनता मशीनगनों से मरे हुए और ज़ख्मी लोगों को उठा रही थी उस समय पहली बार गोलियाँ चलीं। जनता फौरन किस्सा ख्वानी बाजार की तरफ चली गई इस लिये लोग मरे हुओं और घायलों को नहीं उठा सके। इस से हुवा यह कि गोली चलने से और ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और मारे गये, पर यह कहना कठिन है कि पहली बार की गोलियों से कितने आदमी मरे और कितने घायल हुए।

सरकारी कम्युनिक कहता है कि जनता ने डिस्पर्च राइडर को मार डाला, डि० कमिश्नर को बे होश कर दिया, मशीनगन के ग़फ़्दरके सिपाहियों को मय मशीनगन के जलाने को कोशिश की, उस के बाद गोली चलाई गई है, पर हमें दुख है कि हम गोली चलाने को न्याय ठहराने के लिये इन झूठे विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते, मशीनगन के एक सिपाही को अपनी रक्षा के लिये रिवा-ल्वर काम में लाना पड़ा, यह ग़लत है, ऐसी हमारे पास साक्षियाँ हैं, सफ़ाई उसी को देनी पड़ती है जो अपने बचाव के लिये हथियारों का उपयोग करे! पर यह सिपाही सुलेमान कमेटी के सामने भी गवाही के लिये पेश नहीं किया गया! इस कमेटी के सामने सारे साक्षी एक मत से कहते हैं कि मशीनगनों से गोलियों की पहली राउण्ड मशीनगन को आग लगने से पहले छोड़ी गई थी। यदि यह स्विकार भी कर लिया जाये कि पहली गोली चलने के बाद जो बातें हुईं वह ठीक हैं, तो भी गोली चलने की अनावश्यक अवस्था प्रकट होती है। किसी भी हालत में अहिंसक जनता का सम्बन्ध मशीनगन को आग लगाने से जोड़ना बुद्धिमानी नहीं है।

दूसरी बार गोली चलाई गई

दूसरी बार किस्सा ख्वानी बाज़ार में गोली चलाई गई। पहली गोली चलने के बाद पेशावर के एक नेता हकीम अब्दुल जमील खाँ तथा दूसरों ने बीच में पड़ कर समाधानी करने की चेष्टा की, हकीम को जनता और अधिकारी दोनों मान देते हैं। आखरी समय में यह राष्ट्रिय लड़ाई में भी शामिल हो गये हैं। वह कहते हैं कि शायद अधिकारियों ने मेरे शान्ति स्थापन के प्रयत्नों को देख कर ही मुझे क़ैद नहीं किया है। सय्यद लाल बादशाह आरिफ़ अपने मित्रों को पकड़े हुए जानकर जेल में मिलने गये हुए हकीम को फ़ौज के शहर में आने की बात मालूम होते ही उन्होंने किस्सा ख्वानी बाज़ार में जा कर देखा कि जनता निःशस्त्र अहिंसक और शान्त हैं दूसरी तरफ़ फ़ौज और मशीनगनें खड़ी हुई थी, उन को बताया गया कि लोग मशीनगनों से कुचले गये हैं, और गोलियों से मारे गये हैं। अधिकारियों के साथ जान पहचान होने से उन्हों ने उन से शान्ति से बातें कीं और मशीनगन को बुझाने के लिये आये हुए बम्बे पर खड़े हो कर उन्हों ने जनता

से कहा कि जेल में गये हुये तुम्हारे नेताओं का कहना है कि चाहे सो हो पर अहिंसक रहना चाहिये। हकीम साहब के कथनानुसार यदि घायलों और मरे हुवों को उठाने दिया जाता और मशीनगन व फौज हटाली जाती तो अवश्य जनता वहाँ से बिखर जाती हकीम साहब ने अधिकारियों से कहा कि जनता बिखरने के लिये तय्यार है, और इन को सिर्फ लकड़ी से ही बखेरा जा सकता है। गोलियाँ चलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और वोह गोली चलायेंगे तो एक गम्भीर भूल करेंगे। पर अधिकारियों ने इन की कोई बात नहीं मानी। तब हकीम साहब लाचार अपने घर चले गये।

"गोलियाँ किस तरह चलती रहीं"

गोलियाँ किस तरह चलाई गईं, इसविषय में साक्षियों का सार यह है, कि जिस तरह मशीनगनें भीड़ में धंस आई, उसी तरह गोलियाँ भी जिस तरह उन की समझ में आया उस तरह चलाते रहे। फौजी अधिकारियों को एक बार गोली चलाने को कहा। और उन्होंने गोली चलानी शुरू की, दोनों ओर

निर्दोष स्त्रि बाली कान्नों का भी ख्याल नहीं किया गया. कितने ही स्त्रि बालक गोलियों से मारे गये. यदि स्त्रि और बच्चे ज़्यादा ता-दाद में ज़रख्मी नहीं हुए तो इस का कारण यह है कि वह भीड़ में बहुत थोड़ी संख्या में थे. विश्वास-पात्र गवाह कहते हैं, सिर्फ़ भीड़ पर ही नहीं छज्जों के ऊपर और रास्तों में खड़े या बैठे हुए लोगों पर भी गोलियां चलती रहीं. ---

गोलियों की साथ संगीनों की मार

दोपहर के डेढ़ बजे से पाँच बजे तक गो-ली चलती रही. जो आदमी गोली से बचने के लिये दुकानों के आगे पड़े हुए तख्तों के नीचे गोलियों से बचने के लिये छिपे उन्हें बैयोनेट से बींध दिया गया! सरकार कहती है, इस से कोई बहुत हानि नहीं हुई. कितना आश्चर्य है, इतने अरसे तक गोलियां चलती रहीं! संगीनों से छुपे हुए लोगों को टटोल २ कर बींध दिया गया, फिर भी हानि कम हुई बताई जाय यह तो एक चमत्कार ही दी-खता है!

स्वयं सेवक घायल हुए

पहिले तो मशीनगन के नीचे आये हुओं को उठाने दिया गया, पर कुछ देर बाद ही उठाने वाले खिलाफ़ती स्वयम सेवकों में से ५ - ६ बिंध गये। स्काउट ऐसोशियेशन के मेम्बरों को भी घायलों को नहीं उठाने दिया गया इस से स्वयम् सेवकों को गली कूचों में जा कर काम करना पड़ा, फिर कांग्रेस आफ़िस पर धावा करने को जाते हुए पुलिस और फ़ौज ने सेवा समिति के सभ्य जो कि घायलों की सेवा में लगे हुए थे उन को पकड़ लिया और यह समझाने पर भी कि यह लोग मनुष्योचित गुण दया का कार्य कर रहे हैं इन्हें इस समय छोड़ दें पर उन के कहने की कोई परवा नहीं की गई।

" निः शस्त्र जनता पर गोलियां चलाने की नाह

दो गढ़वाली पल्टनों ने निः शस्त्र जनता पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया इस का हमारे पास सबूत है सिर्फ़ यही नहीं और भी हमारे पास गवाहियां हैं। नं० ३१-२८ के ग-

वाहों ने कहा है कि एक सवार को अफसर के हुक्म से निःशस्त्र जनता पर गोली चलाने की नाह करने से गोली मारी गई जिस का परिणाम् यह हुवा कि सवार तो बच गयापर घोड़ा मारा गया, गोली से घोड़े के घायल होने का सबूत है।

इस तरह से सिर्फ लोगों को बिखरने के लिये ही गोलियाँ चलाई गई होंसो बात नहीं थी, सारे गवाह सिर्फ चेतावनी वाली बन्दूकें नहीं पर गोलियां ही चलाने की बात कहतेहैं

सब साक्षियों पर से सरकारी निर्णय में कही गई जनता के सलिया, कुहाडी, डन्डे वगैरा: मारने से कितने ही गढ़वाली तथा कमांडिग आफिसर को चोट लगने और लोगों के फौजियों की रायफलें छीनने की कोशिश करने पर गोलियां चलाई गई, यह स्विकार नहीं किया जा सकता! भारत सरकार को अपने बड़े कम्युनिक ता· ६ मई के में भी यह बहाना नहीं बताया गया है! पर जब पंजाब सरकार ने फरियाद की कि सरहदकी गोलाबारी का असर खराब हो रहा है तब भारत सरकार ने एक और कम्युनिक निकाल कर दूसरी बार की गई! गोली बारको उचित ठहराया है! गड़वालियों को चोटें आई हैं यह बात कैसे ठीक समझी जा सकतीहै

जब कि उन्हों ने निः शस्त्रों पर गोलियाँ चलाने की चाह की हो।

पुलिस का इन्सपेक्टर जेनरल मि० ब्राईस मोंगर जनता के बीच में गढ़वाली टुकड़ी के सामने ही खड़े थे वह समझौता करने की कोशिश कर रहा था उस समय ऐसी हालत में था।

जनता के पास लकड़ी भी नहीं थी

उस समय लिये हुए फ़ोटो बतलाते हैं कि भीड़ के पास लकड़ी, कुहाड़ी या कोई तरह का हथियार नहीं था।

जिस समय गढ़वालियों को आते देखा गया उस समय उन की बन्दूकों पर संगीनें नहीं थी पर अंग्रेज़ी फ़ौज की बन्दुकों पर खुली संगीनें चढ़ी हुई थीं. हमारे सामने दिखलाये गये फ़ोटुओं में गढ़वाली फ़ौज की बन्दुकों पर खुली संगीनें नहीं थीं।

गढ़वाली फ़ौज के आने के समय सिपाही दूसरी तरफ़ गकीनाल बन्नीबाजार की तरफ़ कितने ही पुलिस के सिपाही खड़े थे इस फ़ोटो में (एक्ज़िबिट नं० टी) जो पहली गैलरी दिखाती है वह पेशावर कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री युत राधा किशन वकील की है, श्री युत राधा किशन इस समय जेल में हैं।

फ़ोटो (नं० यु. मां) पहली मशीन गन के

सामने एक मोटर है यह-आग बुझाने के बम्बे की है, बम्बा मशीन की आग को बुझाने के लिये आया था।

शान्ति का संदेशा

हकीम जी कहते हैं मैंने-आग बुझाने के बम्बे पर खड़ा हो कर लोगों को आगा सय्यद लाल बादशाह और खान अली गुल खान का सन्देशा सुनाया कि चाहे सो तकलीफ़ उठानी पड़े तो भी शान्ति रखनी चाहिये।

भीड़ को बिखरने के सम्बन्ध में ताज़-रात हिन्द की दफ़ा १२७ से १३० तक हैं। इन दफ़ाओं में यदि जनता बलवा खोर होगई हो, और मार काट करना चाहती हो तो पुलिस को उसे बखेर देना चाहिये और आखरी हालात में पुलिस यदि लाचार हो जाये तब जहां तक ऊंचे से ऊंचा मेजिस्ट्रेट हो उस के कहने से फ़ौज बुलाने का अधिकार है।

सरकार की तरफ़ से

अनधिकार कायदा तोड़ा गया

लोगों की भीड़ शान्त

होने का मेजिस्ट्रेट का सार्टिफ़िकट

भीड़ झगड़ा नहीं करती थी और भीड़ में से

किसी एक भी आदमी के पास लकड़ी या किसी और तरह का कोई हथियार नहीं था।

दो नेताओं को पुलिस थाने में ले गये। इतने में लोग बिखरने लगे थे। यह बात सिटी मैजिस्ट्रेट जो वहां पर मौजूद था, उसने डि० कमिश्नर को कहा कि भीड़ निःशस्त्र और शान्त है, साथ ही वह बिखर रही है। और किसी तरह की फ़ौज की आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते वह डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की बात नहीं सुने।

वास्तव में बात तो यह है कि डिप्टी कमिश्नर स्वयम् डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट से बिना मिले ही पहले ही फ़ौज और मशीनगनें ले आया था उन का इरादा पहले ही फ़ौजी ताक़त इस्तेमाल करने का था, चाहे जनता शान्त हो चाहे स्वयम् फ़ौजदारी क़ायदे के विरुद्ध काम करता हो, उसको यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी।

लोगों की भलाई के वास्ते फ़ौजी ताक़त की ज़रूरत थी क्या?

डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को सोचने की आवश्यकता ही नहीं अनुभव किया कि लोग दूसरी तरह से बिखर सकते हैं या नहीं? लोगों की हिफ़ाज़त के लिये फ़ौजी ताक़त की आवश्यकता थी या नहीं? लोगों में त्रास बैठाने के लिये मशीनगनें और फ़ौज बुलाई गई थी से।

हमारे सामने साक्षियां हुई हैं।

लोगों पर फ़ौजी ताक़त काम में लाने का पहले ही से पूरा विचार कर लिया गया था, नहीं तो मशीनगनें और फौज लोगों के बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी, इन को दूर ही रखते!

इस ऊपर से विश्वास होता है कि आवश्यकता हो या नहीं, फ़ौजी ताक़त काम में लाने का पक्का इरादा कर लिया गया था! उन्होंने क़ानून की दफ़ाओं की कुछ परवा नहीं की। उन्होंने फ़ौजी बल काम में लाने का निश्चय कर लिया था! और उन्होंने ऐसा किया भी!

दूसरी बार का गोली चलाना भी ग़ैर वाजबी ही था!

दूसरी बार गोली चलाने की आज्ञा देने वाले आयस मेगर के दिमाग़ की हालत भी ऐसीही थी!

वह जानता था, कि जनता को मरे हुए और घायलों को उठाने दिया जाता! और मशीनगनें और फौज हटाली जाती तो जनता बिखर जाती पर वह इस बात के लिये राज़ी नहीं हुवा।

पठान गोलियां खाने के लिये तय्यार

उसको मालूम था कि पठान गोलियां खाने के लिये तैयार हैं। पर जनता बिना शर्त बिखर नहीं जा-यगी तो गोलियां चलाये जाने का निश्चय कर लिया गया था।

हकीम साक्षी नं० ५५ ने अपनी गवाही में कहा है कि जनता की बातें न सुनते हुए अधि-कारियों ने कहा कि हमने जैसा ते किया हुवा है उसी प्रकार काम लेंगे!

दूसरी बार की गोलियाँ चलाने में मेजिस्ट्रे-ट के दिमाग़ की हालत भी ऐसी ही थी! उसने फ़ौजदारी क़ायदे की दफ़ा १२६ का स्वयम भं-ग किया है!

१२५ उसी स्थान पर मारे गये लगभग तीन सौ घायल हुए

तारीख़ २३ अप्रैल को कितने मारे गये और घायल हुए, इस का ठीक ठीक अन्दाज़ा निका-लने की हमने कोशीश की है!

पेशावर में हम को तहक़ीक़ात नहीं करने दी गई! इस से हमारा काम बहुत कठिन होगया

कॉंग्रेस कमेटी ने ता० २६ से ३० अप्रैल तक तहक़ीक़ात कर कर मारे गये, घायल हुए और खोये हुवों के नाम पते समेत एक लिस्ट हम को दी है! इस में कुल नुक़सान ११६ का

दिखलाया गया है। यह लिस्ट कांग्रेस पत्रिका (एकज़िबिट नं. एफ़) प्रगट की गई है। इस में कहा गया है कि बाक़ी नुक़सान कि लिस्ट फिर कांग्रेस पत्रिका में छापेंगे।

इस के बाद कांग्रेस के रजिस्टर नं. १ से तीसरी मई तक और १०० आदमियों के मारे जाने या घायल होने को नाम पते लिखाये गये हैं।

परन्तु कांग्रेस आफ़िस पर ता. ४ मई को धाड़ मार कर सब काग़ज़ रजिस्टर और साहित्य ज़ब्त कर लिया गया।

सरकार ने नुक़सान के तार रोक लिये, वह जनता को और उच्च अधिकारियों को नुक़सान जताना चाहते नहीं थे।

इस से सरकार ने ता. २३ अप्रैल को बारह आदमी मारे जाने, और दो सप्ताह बाद बीस आदमियों के मारे जाने की ख़बर दी है।

कांग्रेस पत्रिका में प्रगट किया आदमियों के मरने और घायल हुवों की तादाद कांग्रेस आफ़िस के दीवार पर चिपकाये रहने से यह जनता और सरकार दोनों को मालूम था।

इस के सिवाय सरहद पत्र ने गोलियों से मरे हुए ६२ आदमियों की सूचि ता. २६ अप्रैल को छापी है जिस में दो नाम भूल से दो बार लिखे गये हैं। इस के लिये मरे हुवों

की असल संख्या ६० की समझनी चाहिये इस पर से।

यह सच्ची रिपोर्ट सरकार ग़लत नहीं कह सकी।

काँग्रेस पत्रिका में खोये हुवों की लिस्ट छपी है उस में से एक भी आदमी आज तक जीवता नहीं मिला है। इस से कम से कम १२५ मारे गये, और तीन सौ घायल हुए हुवों का सबूत साक्षियों द्वारा किया हुवा है ठीक मालूम होता है।

"कमेटी का फ़ैसला"

इस इन्क्वायरी में मुख्य बातों के सम्बन्ध में हमारा फ़ैसला निम्न लिखित है।

(१) मशीन गनों और फ़ौज से ता० २३ अप्रेल को पेशावर में जो गोलियाँ चलाई गई हैं वह बिल्कुल ग़ैर वाजबी थीं।

(२) गोली चलाने से पहले जो नियमानुसार जिन क़ानून की दफ़ाओं का काम में लाना ज़रूरी था, वह अधिकारियों ने नहीं किया, सिर्फ़ इतना ही नहीं उन्होंने उस का जान बूझ कर भंग किया था।

मशीनगनोंसे भीषे कुचले हुए १२ आदमी

लोगों की निःशस्त्र और शान्त भीड़ (जो

बिखर रही थी। उस पर बिना किसी आवश्यकता और चेतावनी के डिप्टी कमिश्नर ने मशीनगनें चलवा दीं, जिस से बारह चौदह आदमी घायल हुए और मर गये।

डिप्टी कमिश्नर ने यदि ऐसा नहीं किया होता तो पीछे की हुई दुख देह घटनायें न होतीं! इन सारी घटनाओं की ज़िम्मेवरी डि० कमिश्नर के ऊपर है! यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो पीछे यह सब दुखदेह घटनायें न होतीं!

जनता में से मरे हुए और घायल आदमियों को नहीं उठाने देने के कारण किसी २ ग़ैर ज़िम्मेवर आदमी ने कुछ कंकर मशीनगनों पर फेंके इस में से एक पत्थर डिप्टी कमिश्नर को लगा जिस पर से मशीनगनों की गोलियां चलाने का अधिकारियों को बहाना मिल गया!

यदि डिप्टी कमिश्नर जनता को बिखेरना चाहता तो वह दूसरी तरह से बखेर सकता था पर उस ने तो फ़ौजी ताक़त काम में ला कर लोगों पर त्रास बैठाना का पहले ही निश्चय कर लिया था! और उसी पर अमल किया गया!

उसी तरह दूसरी बार के गोली चलने

मर गये, बच्चियों के भारी चोट आई।

(२) बाहर के लोगों से, और उच्च अधिकारियों से यह बात छिपाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया गया।

(३) सिटी मैजिस्ट्रेट जो वहां हाज़िर था उसने सलाह दी थी कि लोग अहिंसक और निःशस्त्र हैं, और अपने-अपने घरों को जा रहे हैं, फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होते हुए भी डि० कमिश्नर मशीनगनें दरवाज़े के अन्दर ले गया।

(४) डि० कमिश्नर वहां मशीनगनें चेतावनी के लिये नहीं ले गया। वास्तव में लोगों में नैतिक असर पैदा करने के लिये ले गया था।

(५) जो मशीनगनें परिणाम सोचे बिना भीड़ में नहीं दौड़ाई जातीं तो उस दिन बने हुए दुखजनक बनाव नहीं बनते।

"डिस्पैच राइडर कैसे मरा"

हमारे सामने गवाही देने वालों ने ज़िम्मेवारी पूर्वक कहा है कि एक योरोपियन डिस्पैच राइडर पहली मशीनगन के पीछे मोटर साइकिल पर दौड़ा हुआ आता था मशीनगन लोगों के बीच में घुसी और कुछ आदमियों को कुचलने के बाद जब वह कुछ पीछे हटी, तब राइडर उसके साथ टकरा कर गिर पड़ा और उसी से कुचल कर मर गया।

इस कमैटी के सामने गवाही देते हुए तीस-रे गवाह मीर बख्श ने कहा है, कि राइडर को उसने इस तरह से पड़ते हुए, और कुचला जाते हुए देखा था, राइडर को किसी ने मारा नहीं, मैं पास ही खड़ा था अगर कोई मारता तो मैं बहुत ही अच्छी तरह देख सकता था, लोग वहां ऐसे ही इकट्ठे हो गये थे, और वो निशस्त्र थे, अट्ठा-रवां गवाह अब्दुलकरीम कहता है, कि राइडर दो मशीनगनों के बीच में था, पहली गाड़ी के नीचे लोगों के आजाने से बहुत हुल्लड़ हुवा, तब पहली गाड़ी पीछे हटाई गई, उस से राइडर गिर पड़ा, और गाड़ी उसके ऊपर से चली गई; ८, १० और १४ नम्बर के गवाह भी ऐसा ही कहते हैं, परन्तु २६ नम्बर का गवाह कुछ सन्देह उत्पन्न करता है, उस के कहने के मुताबिक दोनों मशीन गनें एक दम लोगों के ऊपर से फिर गईं, बहुत स्यार आदमियों के हाथ, पैर और खोपड़ी कुचली गई, दूसरी मशीनगन पहली मशीनगन के साथ टकरा गई, एक गोरा मोटर साइकिल पर पह-ली मशीनगन के पीछे था, दोनों मशीनगनों के टकराने से वह गिर पड़ा और दूसरी मशीन-गन से कुचला गया।

सुलेमान कमेटी के सामने इस सम्बन्ध में उल्टी सुल्टी गवाहियां हुई हैं, पुलिस सु-परिन्टेन्डेन्ट मि० फ़क्स कहता है कि मैंने पहली

मशीनगन के नीचे राइडर को पड़े हुए देखा। अधिकारियों ने कहीं नहीं कहा है कि लोगों ने उसको मारा, पर भीड़ में से एक आदमी ने उसके माथे पर चोट मारी और वो साइकिल पर से गिर पड़ा, और मशीनगन उस के ऊपर से चली गई ऐसा कहा गया है। यह बात इस घटना के दो हफ़्ते बाद ६ मई को एक याददाश्त में कही गई है। इस से साफ़ ज़ाहिर है, कि उस समय तक अधिकारी इस का निर्णय नहीं कर सके थे, किन्तु इस सूचना का भी कोई समर्थक नहीं है। सुलेमान कमेटी के सामने कोई स्वतन्त्र गवाही नहीं हुई है। पुलिस सब इन्सपेक्टर मि. अलाउद्दीन शाह कहते हैं कि साइकिल और सिपाही दोनों को उसने एक मशीनगन के नीचे देखा।

इन सब बातों पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहौंचे हैं कि भीड़ में से राइडर के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया और नहीं किसी ने उस को मारा। मशीनगन के साथ टकरा जाने से वह गिर गया। और मशीनगन उस के ऊपर से चली गई।

"मशीनगन में आग कैसे लगी"

इसी खतरनाक घटनाओं के मुतल्लिक ता० २३, २७ और २८ अप्रैल को यादाश्तों

सरकारी जिस तरह से चुप हैं, उसी तरह सेइस विषय में भी चुप है। तारीख ६ मई की याददाश्त में सरकार ने कहा है, कि लोगों ने मशीनगन को आग लगा दी। लोग यह जानते हुए कि मशीनगनें गोली छोड़ कर मार सकती हैं, मशीनगन के नज़दीक जा कर आग लगाये, ये समझना बहुत कठिन है, यह बात मानी जा सके, ऐसी नहीं है। क्योंकि लोग मशीन को दिन दहाड़े आग लगाते हों। बड़े २ अफ़सर सामने खड़े हों, और बहुत सारी पुलिस हो, वह ऐसी बात को चुप चाप कैसे देख सकती थी, यह आक्षेप लगाने की सरकारी गवाहियाँ संतोष जनक नहीं हैं। ऐसिस्टेन्ट कमिश्नर मि० कोब कहते हैं, कि लोगों ने राइडर की लाश के साथ मशीनगन में तेल डाल कर आग लगा दी। दूसरे कैपटिन सोर्ट कहते हैं कि लोगों ने मशीनगन के नीचे घेस कर आग लगाई दोनों में से किसी भी अधिकारी ने ऐसा करते हुए लोगों को क्यों नहीं रोका, इसका खुलासा नहीं बतलाया जाता है। यदि लोगों ने ऐसा किया होता। तो सरकार और प्रजा के बहुत सारे लोगों ने देखा होता। परन्तु सुलेमान कमेटी के सामने इस सम्बन्ध में सरकार एक भी स्वतंत्र गवाह न ला सकी।

लोगों पर गोली चलाने का एक मुख्य

कारण, मशीनगन को आग लगाया जाना बतलाया जाता है. पर यह बहुत आश्चर्य-जनक है कि, पहली तीन सरकारी याददाश्तें इस विषय में कोई भी इशारा नहीं करतीं, जब कि ऐसिस्टेन्ट कमिश्नर और डि० कमिश्नर के चोट लगने की मामूली बातें भी उसमें लिखी हुई हैं। दूसरी तरफ इस कमेटी के सामने की गई गवाहियों में से किसी ने भी यह नहीं देखा बतलाया, कि लोगों में से किसी ने मशीनगन को आग लगाई हो।

ग्यारवाँ गवाह अब्दुल करीम कहता है, जब कि भीड़ मरे हुओं को और ज़ख़्मियों को उठा रही थी उस समय एक मशीनगन को आग लगी उस पर से चार ब्रिटिश सिपाही भाग उसी समय दूसरी मशीनगनों ने गोलियाँ चलानी, और आगे बढ़ना शुरू किया-

स० उस वक्त मशीनगन को आग कैसे लगी?

ज० उस को आग आप ही लगी, पेट्रोल की टंकी में आग लग जाने से या और किसी तरह से यह मैं नहीं कह सकता, पर इतना मैं कह सकता हूं कि मशीनगन के नज़दीक कोई आंच नहीं थी, या कोई आदमी कपड़े या आँच वहाँ नहीं लाया. जब उस में से आग की लपटें निकलने लगीं उस वक्त उस में से चार सिपाही

बाहर आये !!

इस गवाह की ताईद में नँ० ३, १, २८, २६ और दूसरे गवाह भी हैं।

इन सब बातों से हम इस नतीजे पर आये हैं, कि लोगों में से किसी ने मशीनगन को आग नहीं लगाई। यह कहना कि मशीनगन को लोगों ने आग लगाई है बिल्कुल ग़लत है हम ऐसा सोचते हैं कि व्यर्थ गोली चलाई गई और उस को ढकने के लिये पीछे से यह बात बनाई गई है।

भीड़ की तरफ़ से पत्थर फेंकने का आक्षेप

मशीनगनें आईं उस समय भीड़ बिना हथियारों के और शान्त थी यह हम मानते हैं डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को लोगों के फेंके हुए पत्थर से चोट आई यह ठीक नहीं है। सरकार कहती है कि डि० कमिश्नर के लोगों के फेंके हुए पत्थर से चोट आई, और वह बेहोश हो गये। इस की बाबत यह है कि हमारे सामने अनेक गवाह कहते हैं कि लोगों ने ऐसा नहीं किया सड़क पर कोई संधारने का काम नहीं चल रहा था जिस से कि पत्थरों का ढेर जमा हो। लेकिन

कुछ गवाह कहते हैं कि मरे हुवों को और ज़ख्मियों को न उठा देने के कारण भीड़ कुछ उत्तेजित हो गई थी। और छोटे २ कुछ कंकर उठा कर चन्द लोगों ने फेंके। इस से ईंट पत्थरों की मार हुई, यह अधिकारियों का कहना मंज़ूर करने के क़ाबिल नहीं है, पर डि० कमिश्नर थोन की पगड़ी पर बेहोश हो कर गिर पड़े ऐसी गवाही पर विचार करते जाना जाता है कि इन को एक आध कंकड़ लगा होगा परन्तु हमारे पास इस बात के लिये सबूत हैं कि भीड़ में से मशीनगन के फिर जाने से मरे हुए और ज़ख्मि लोगों को देख कर के कुछ लोग उत्तेजित हुए और उन्होंने जो कुछ उन लोगों के हाथ लगा उन्होंने फेंकना शुरू किया परन्तु भीड़ में से ज़िम्मेवार लोगों ने और लोगों को अहिंसक रहने के लिये समझाया।

ख़ास हालात के लिये कमेटी का निर्णय

इस से हम ख़ास हालात की बाबत जिस निर्णय पर आये हैं उस का सार निम्न लिखित है

(१) ता० २३ अप्रेल को सवेरे काबली दरवाज़े पर कोई उपद्रव नहीं था।

(२) पुलिस के क़बज़े में से दो नेताओं को लोगों ने नहीं छुड़ाया था।

(३) डि० सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के लोगों ने कोई पत्थर नहीं मारा।

(४) लोगों के पास लाठी, लकड़ी और कोई हथियार नहीं था।

(५) लोग अन्त तक अहिंसक थे और नेताओं को थाने में ले लेने के बाद अपने घरों को वापिस जा रहे थे।

(६) डि० कमिश्नर ता० २३ अप्रेल को सवेरे, जिस समय लोग अपने घरों को जा रहे थे, उस समय तीन चार मशीनगनों को छावनी में से ले कर शहर में घुस आया और लोगों को चेतावनी दिये बिना मशीनगनों ने कुचल दिया। परिणाम स्वरूप मशीनगनों के पहियों के नीचे आ कर बारह चौदह आदमी कुचले गये जिस में से ६, ७ तुरन्त मर गये और बाकी सख्त ज़ख्मि हुए।

(७) ऊपर के हालात से बाहर की प्रजा और कदाचित उच्च अधिकारियों को भी नावाक़िफ़ रखने के लिये प्रत्येक कोशिश की गई।

(८) सिटी मेजिस्ट्रेट जो कि वहां था, उसने सलाह दी थी कि लोग अहिंसक हैं और अपने घरों को जा रहे हैं अत: अधिक फ़ौजी मदद की ज़रूरत नहीं है तो भी डि० कमिश्नर मशीनगनें छावनी से खाने लगा

जवाब :— हाँ मैं उस के लिए विश्वास करता है। किसी ने भी थूंक तक उठाया नहीं और गोली तक ही नहीं लोगों को यह ख़बर नहीं थी कि उन के ऊपर गोलियाँ चलाई जायेंगी जलूस ने फौज को रास्ता दे दिया था, यदि वह जाना चाहती तो खुशी खुशी जा सकती थी।

सरकार के ख़्याल में अकस्मात

सरहद की सरकार ने एक कम्युनिक निकाल कर खुलासा किया है, बृटिश सिपाही से चली हुई गोली केवल अकस्मात थी और सरकार ने गंगा सिंह की तरफ़ दुख प्रगट किया, और तहकीकात करने की प्रतिज्ञा की, सरकार ने तहकीकात करने की बात को अकस्मात कह कर बन्द कर दिया, यदि अकस्मात थी तो समशान यात्रा में जाने वालों में से दस आदमी मारने की और २० के घायल होने की बात कैसे अकस्मात हो सकती है! इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई खुलासा किया हो ऐसा हमें मालूम नहीं। हमारे सामने दी गई यह गवाही इतनी खरी है, कि जिस पर से हम को यह सब बातें सच्च हैं ऐसा सन्तोष हो गया है. !!

सरहद के हालात

हमारे सामने हुई गवाहियाँ कहती हैं कि ता० २३ अप्रैल पीछे हरेक स्थान पर महा-सभा और उस से सम्बन्ध रखने वाली सभी संस्थाओं को ग़ैर क़ानूनी क़रार दे दिया गया. उन के आफ़िसों पर छापा मार कर, काग़ज़, पत्र, रोकड़ा और सामान ज़ब्त कर लिया गया। और कितनी ही जगह तो फूँक दिया गया है। महा सभा के स्वयम् सेवकों या उन से सम्बन्ध रखने वाले या सहानुभूति रखने वाले बहुत सारे लोगों को मुक़दमे चला कर जेल में बन्द कर दिया है। फ़ौज ने गाँव का घेरा डाल कर कितने ही दिन तक लोगों को बहुत तंग किया है। खादी और गाँधी टोपी पहनने वालों को खास तरह से तंग किया गया है उन को मारा गया है, और कितने ही वस्त्र नग्न कर कर उन को मारा गया है। पेशावर, बन्नू, और कोहाट ज़ि० में जहाँ प्रजा पर महा सभा का अधिकार है, वहाँ के गवाहों ने वहाँ के हृदय विदारक किये गये अत्याचारों का वर्णन किया है, ऐसे कितने ही गाँवों के नाम हम नीचे देते हैं।

पेशावर ज़ि० - उत्मनज़ाई, परंग ढक्कर

वावसा, चंदा, धजलखेल, महमद गुल मियाँ, नगर ही दरगाह,

बन्नु जिला :- बन्नु, दाऊद शाह, महमद खेल, बतखेल, मुगुल खेल,

कोहाट ज़िला :- कोहाट, दरसमन्द और थल।

इन गामों के गवाहों के कहे मुताबिक़ लोगों पर किये गये अत्याचार की कहानी इतनी भरी हुई है कि उस पर से ख़ास बातें नोट करनी हमारे लिये मुश्किल हो गई हैं!

उत्तम भाई की कहानी

नं० ४६ का गवाह अब्दुलगफ़ार कहता है, कि रात के तीन बजे फ़ौज ने गांव का घेरा डाला। सवेरा होते ही डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ और भारतीय फ़ौज के साथ गाम में आया। गांव के बाहर ८०० अंग्रेज़ हिन्दु सिक्ख और डोंगरों की बनी हुई घुड़ सवार पल्टन थी। और ३०० शिया सिपाही थे। जिनको मारने के लिये ख़ास भरती की गई थी। यह शिया सरहद के परले तरफ़ के गामों के रहने वाले थे। तिराह में वह धार्मिक सवाल पर लड़े थे। और उसमें हारने पर सरकार ने अपने काम के लिये उन

को इस काम में लगाया था। इस के सिवा-य गांव के बाहर बहुत सारी मशीन गनें और चार लेविस तोपें थीं, डिप्टी कमिश्नर खुदाई खिदमतगार के आफ़िस के सामने गया, और उसने दुकान के दरवाज़े को तोड़ने के लिये अंग्रेज़ और सिक्ख सिपाहि-यों को आज्ञा दी। उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की पर वह निष्फल हुए। वह दीवारों पर से हो कर झरोखे में चढ़ गया। नीचे खड़े हुए सिपाहियों ने दुकानें तोड़नी शुरू कीं और उन्होंने सुलेमान की आट की दुकान तोड़ डाली, खाली पीपें को बाहर फेंक दिया और रुपया वगैरा ले गये। उसने इस सम्बन्ध में अन्जुमन में कहा।

आफ़िस में आग लगाई

अंग्रेज़ सिपाहियों ने मन्डी गेट तोड़ दिया और बाहर पड़े हुए बीमारों पर संगीनें च-लाईं।

गुड़ से बोरे खाली किये गये थे वह लोग जितना गुड़ उठा कर ले जा सके उतनी अपने साथ ले गये। जब उन को कहा गया कि वह मन्डी थी तब उन्हों ने कहा।

"डैस यह मन्डी तो फ़ौज का स्टोर है।" मन्डी में पड़ी हुई पुस्तकों को उन्होंने जला दिया था। डिप्टी कमिश्नर ने बाल्कनी पर जा कर खुदाई खिदमतगारों को नीचे जाने के लिये और वर्दी निकालने के लिये हुक्म दिया था। उन्हों ने कहा कि अपने सरदार की आज्ञा के बिना हम नीचे नहीं जायेंगे और वर्दी उतारने की अपेक्षा मृत्यु को हम अधिक पसंद करेंगे। इस समय उन के सेनापति शबनिबाज़ खां ने इन्कलाब ज़िन्दाबाद की आवाज़ के साथ उन्हें नीचे उतरने के लिये कहा, डिप्टी कमिश्नर ने इस बलबाई आवाज़ की पुकार को रोकने के लिये बहुत प्रयत्न किया। कमिश्नर ने शामबाज़ नाम के एक खुदाई खिदमतगार की निकर पकड़ी। उसने कहा कि साहब जब तक एक भी पठान जीता है, तब तक उस के शरीर पर से निकर उतारने का काम बहुत कठिन है। डिप्टी कमिश्नर ने उस को मारा, और जब तक वह मूर्छित नहीं हो गया तब तक मारता ही रहा, मूर्छावस्था में उस का कपड़ा उतार लिया गया और उसे नंगा कर दिया गया। उस के पश्चात एक दूसरे खुदाई खिदमतगार को अपना कपड़ा उतारने को कहा

गया। उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। आठ या नौ सिपाही उसके कपड़ों को बलात्कार से उतारने लगे। परन्तु वह ऊंचा और बलवान था, इस लिये वह सिपाही सफ़ल नहीं हुए। इस के बाद उस के सर पर प्रहार किया गया, जिस का घाव अभी तक उसके सर पर है। सिपाहियों ने उस को ऐसा मारा कि वह एक घंटे तक बेहोश रहा, जिस समय वह बेहोश पड़ा था, उस समय उपस्थित सब बृटिश सिपाहियों ने लातों से मारा। इस प्रकार एक एक करके प्रत्येक खुदाई खिदमतगारों को मारा गया, और उन के कपड़े उतार लिये गये। गुलाम अब्दुल रज्ज़ाक़ और दूसरे खिदमतगारों को घसीट कर रास्ते में ले आया गया, जिस के परिणाम स्वरूप रज्ज़ाक़ का पैर टूट गया। गुलाम के सर पर चोट आई। अब्दुलग़फ़ूर और हकीम नाम के खिदमतगारों को संगीनों से घायल किया गया। उन के कप्तान मुहम्मद नकीब ख़ाँ को जिस क्रूरता से मारा गया, उस के वर्णन करने के लिये ढूंढने पर भी शब्द नहीं मिलते। जिस समय उस की क़मीज़ ज़बरदस्ती से उतारी गई और उसे निकर उतारने का हुक्म हुआ उस समय वह अपने पास

के घर में रिवाल्वर लेने के लिये दौड़ गया। यह देख कर कमांडर शाहनवाज़ खाँ ने उस को ज़ोर से कहा, तेरा धर्म और तेरी सहनशक्ति नष्ट हो गई है, कि जिस से तू हिन्सा करने का विचार करता है। तूने मृत्यु पर्यन्त महासभा के अहिंसा के ध्येय को पालन करने के लिये शपथ खाई है। अन्त में वह पीछे लौटा और उसे पकड़ लिया गया।

छोटे बच्चे की बहादुरी

जिस समय यह मारपीट हो रही थी, उस समय अब्दुल गफ़ार ख़ान् अफ़गानों को आश्चर्यान्वित करने वाला अब्दुल गफ़ार ख़ान का छोटा बच्चा वर्दी में खड़ा था डिप्टी कमिश्नर ने उस छोटे से बच्चे को पूछा तू कौन है। उसने उत्तर दिया मैं अब्दुल गफ़ार ख़ान का छोटा लड़का हूं। डिप्टी कमिश्नर ने उसे गालियां दे कर बृटिश सिपाहियों को संगीनें चलाने का इशारा किया। बृटिश सिपाही उन्मत्त मनुष्य के समान उस की तरफ़ दौड़ पड़े, परन्तु एक मुसलमान सिपाही से यह देखा नहीं गया। और उस को जब कि वह संगीन पकड़ने जा रहा था चोट लगी। समीप में ही खड़ा एक दूसरा सिपाही लड़के की तरफ़

दौड़ा, यह पकड़े हुए आदमी जीत के आधीन थे, उस सरफ़राज़ खान के भाई मीर हसन खान ने उस लड़के को पकड़ कर नीचे की मसजिद में कूद मारी और स्वयम् तथा वह लड़का दोनों बच गये। नीचे उतरते समय झरोखा रेलिंग से जला दिया गया, समस्त बाजार जल जाने का भय था, परन्तु लोगों ने आग को बुझा दिया,

इन सब साक्षियों का पूरा बयान दूसरे भाग में छापा गया है।

महासभा के विरुद्ध आक्षेप

इस समय पेशावर कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध अधिकारियों के ता. ६ मई की कम्युनिक में प्रकट किए गये गम्भीर आक्षेपों की आलोचना की जाती है।

इस कम्युनिक में दूसरे भी आक्षेप किये गये हैं, यह सब आक्षेप झूठे हैं इस को सिद्ध करने वाली साक्षियां हमारे सामने हैं, परन्तु हम यहां उन में से एक आक्षेप की आलोचना करेंगे जिस को ले कर क्रिमनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट के अनुसार महासभा और यूथ लीग के मण्डलों को ग़ैर कानूनी ज़ाहिर किया गया गया है। सरकारी बयान में

कहा गया है कि पेशावर काँग्रेस कमेटी ने पोस्टर और पत्रिकाएं प्रकाशित कर के ऐसा प्रकट किया है कि हम लोग तुरंग माई के हाजी के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं। और उन को फ़ौज इकट्ठा कर का पेशावर ज़िले में आने के लिये आमन्त्रण दिया गया है।

इस आक्षेप के सम्बन्ध में १० नं. के गवाह अब्दुल करीम ने हमारे सामने नीचे लिखा बयान किया है। तुरंग माई के हाजी के विरुद्ध षड्यन्त्र करने का आक्षेप बिलकुल असत्य है। मैं सरकार को इस निर्मूल आक्षेप को सिद्ध करने के लिये प्रमाण उपस्थित करने का चैलिन्ज करता हूं। महासभा के किसी भी अधिकारी ने इस प्रकार का पत्र व्यवहार किया हो, तो सरकार को प्रकाशित करना चाहिये।

प्रश्न:- राष्ट्रीय पत्रिका में क्या ऐसा लिखा गया था कि तुरंग माई के हाजी एक लाख मनुष्यों की सेना के साथ सरकार पर आक्रमण करने वाले हैं? सरकार जो ऐसा कहती है क्या वह झूठ कहती है? आगे चल कर सरकार जो यह कहती है कि हम लोगों ने हाजी को निमन्त्रण दिया, क्या यह सब सत्य है?

उत्तर:- हम लोगों ने हाजी को कभी भी

निमन्त्रण नहीं दिया है। हम लोग जानते हैं कि सरकार हम लोगों पर किस षड़यन्त्र का आरोप लगा रही है। क्यों कि पेशावर में हमारे आन्दोलन ने दृढ़ रूप धारण किया है, लोगों ने निश्चय किया है कि कोर्ट में न जा कर अपने मत भेदों का स्वयम् निर्णय कर लें। सरकार हमारे दफ़्तर से ता. ४ मई की तलाशी के समय कागज़ पत्र उठा कर ले गई है, हमारी पत्रिका में ऐसा नहीं लिखा है, कि हाजी सेना के साथ आते हैं, और उन को हमने निमन्त्रण दिया है, हम लोगों ने इतनी ही सूचना दी थी, कि हम को समाचार मिला है कि हाजी राष्ट्रिय आन्दोलन में भाग लेने को तय्यार हैं।

प्रश्न :- राष्ट्रिय आन्दोलन का क्या अर्थ है?

उत्तर :- महा सभा के अहिन्सात्मक असहयोग के आन्दोलन से हमारा तात्पर्य्य है। हमारे कहने का यह मतलब नहीं है कि हाजी हथियार, तलवार या बन्दूकों के साथ आते हैं, यदि हम लोगों का यह आशय होता तो हम कभी न लिखते कि वह राष्ट्रिय आन्दोलन में भाग लेने आ रहे हैं।

प्रश्न :- तुम को किस तरह से मालूम हुवा कि हाजी एक खास आदमियों के साथ राष्ट्रिय

आन्दोलन में भाग लेने को तय्यार हैं ?
उत्तर :- हम लोग शहर में जो कुछ सुनते हैं उसे समाचार के रूप में पत्रिका में प्रकट करते हैं।
प्रश्न :- सरकार की सूचना बताती है कि कांग्रेस कमेटी ने अपनी पत्रिका में स्विकार किया है कि हम हाजी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं।
उत्तर :- यह नितान्त असत्य है। यह शब्द हमारी पत्रिका में किसी जगह भी दीख नहीं पड़ते, यह मिथ्या आरोप बाहर के लोगों में हमारे विरुद्ध कलुषित भाव फैलाने के लिये किया गया है। मैं ठीक ठीक जानता हूं कि यह बात कांग्रेस की किसी भी पत्रिका में कभी प्रकट नहीं हुई है। हम इस प्रकार की कोई भी पत्रिका व दस्तावेज़ सुलेमान कमेटी के सामने उपस्थित करने के लिये और उसे स्वतंत्र रूप से प्रसिद्ध करने के लिये, सरकार को कहते हैं। यदि सरकार ऐसा न कर सकती हो तो सरकार सत्य घटनाओं को प्रकाशित करने के लिये बन्धी हुई है।

कितने ही साक्षियों ने इतनी ही मज़बूती के साथ इन आक्षेपों को स्विकार किया है, और उस के विरुद्ध अपना विरोध

प्रकट किया है।

पेशावर कांग्रेस कमेटी भारतीय महासभा का एक भाग और अंग है। उसने पत्रिका पुस्तक और साधारण सभाओं द्वारा सदा यह उपदेश किया है कि कांग्रेस के समस्त कार्य कर्म का मूल अहिंसा के ऊपर है। उसने स्पष्ट रीति से आग्रह किया है, कि भारी से भारी जोश में भी लोगों को सर्वथा अहिंसक रहना चाहिये। और हम को विश्वास हो चुका है कि सब से कठिन और परीक्षा के संयोगों में भी लोगों ने अहिंसा के भाव को नहीं छोड़ा है। शान्ति साहस और सहिष्णुता को प्रकट किया है। तथा इस रीति से राष्ट्रिय महासभा की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इस आन्दोलन के माननीय नेता खान अब्दुलग़फ़ूर खान जो कि महात्मा गांधीजी के कट्टर चेले हैं, वह एक दृढ़ योद्धा तथा सहज में जोश से भर जाने वाली क़ौम को शान्ति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिये बधाई के योग्य हैं। हम लोग यह मानने के लिये तय्यार नहीं हैं कि ऐसे मनुष्य की देख रेख में चलते हुए आन्दोलन का उन लोगों के साथ जो कि स्पष्ट रीति से बलवे के पक्षपाती हैं, किसी प्रकार का सम्बन्ध हो।

सरकार ने पेशावर कांग्रेस कमेटी के बिरुद्ध इस प्रकार का गम्भीर आक्षेप कर कर उस महान नेता की ओर प्रान्त की समस्त प्रजा की मान हानि की है। कांग्रेस कमेटी को ग़ैर क़ानूनी मण्डल घोषित करने के बिचार से यह किया गया था। दूसरे साम्यवाद के सिद्धान्तों के प्रचारक होने के जो आक्षेप किये गये हैं, वह भी उतने ही असत्य हैं। और यह सब आक्षेप कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ सम्बन्ध रखने वाले मण्डलों को क़ानून के चंगुल में फंसाने के बिचार से किये गये हैं।

हमारे काम की कठिनाइयां

अब हम अपने कार्य के अन्त में आते हैं। परन्तु हम अपनी रिपोर्ट पूरी करने से पहिले जांच के काम में जो जो कठिनाइयां उपस्थित हुई थीं। उन के सम्बन्ध में थोड़े शब्द कहना चाहते हैं। हमने आरम्भ में ही बता दिया है कि सरहद की सरकार ने हम को पेशावर में जांच करने की मनाही की थी। अतः हम लोगों को अपनी बैठकें उस प्रान्त से बाहर करनी पड़ीं, और उन संयोगों में हमने अनुकूलता पूर्ण स्थल रावलपिंडी को समझा था। हम लोग ता०२९

अप्रैल को रावलपिण्डी पहुंच गये थे तब हम लोगों को सूचित किया गया था प्रधान कांग्रेस कार्य कर्त्ता जेल में हैं, और इस लिये कांग्रेस कमेटी हमारी जांच के लिये प्राथमिक तय्यारी नहीं कर सकी है। और हमारी १७वीं मई के अखबारों की सूचना भी पेशावर के लोगों को नहीं जानने दी गई। कांग्रेस कमेटी के नये सभापती ने हम लोगों को खबर दी कि उन्होंने लोगों को खबर देने के लिये पेशावर एक हल्कारे को भेजा है और वह आज शाम को वापिस लौटेगा। इस लिये ता० २) के दिन कोई भी गवाह हाज़िर नहीं हुवा था, और हम लोग उस दिन कुछ भी काम नहीं कर सके थे। हम लोगों को प्रतीत हुआ कि हमारा काम निराशा पूर्ण है, परन्तु शाम को कितने ही गवाह पेशावर से आ पहुंचे थे, और उन से हम लोगों को खबर मिली कि दूसरे गवाह भी उन के पीछे आने वाले हैं। कांग्रेस कमेटी का हल्कारा दूसरे दिन प्रातः काल आया और हम लोगों ने उस का बयान नोट किया। वह कहता है, स्थानिय कांग्रेस कमेटी के सभापती ने मुझे पेशावर जाने और और लोगों को यह सूचित करने की आज्ञा दी थी, कि कांग्रेस की जांच

कमेटी ने अपना काम काज रावलपिंडी में शुरू किया है। और जो लोग गत २३वीं अप्रैल तथा उसके बाद की घटनाओं के विषय में वास्तविक स्थिति जानते हों वह आ कर उस कमेटी के सामने अपना बयान पेश करें। मैंने देखा घोड़े सवार पुलिस तथा लाठी वाली पुलिस शहर में फिरती थी। काबुली दरवाज़े के सिवाय सब दरवाज़ों पर पुलिस का कबज़ा था, और काबुली दरवाज़े पर बृटिश सोलज़रों के एक बड़े भारी जत्थे का पहरा था। दरवाज़े के चारों तरफ़ और उस के ऊपर भी संगीन के साथ सरकारी सिपाही पहरा दे रहे थे। सब शहर घबराया हुवा था। नव जवान भारत सभा के आफ़िस पुलिस के क़बज़े में है। मैं खिलाफ़त कमेटी के उपसभापती से मिला था। उन्होंने मुझे कहा था पुलिस फ़ौज तथा खुफ़िया पुलिस के आदमी जो कि अटक पुल पर से पेशावर जाने वाले यात्रियों के नाम को नोट करने के लिये रखे गये थे उन से लोगों में अत्यन्त भय घुस गया है। लोगों को यह डर लगा है कि यदि वह कांग्रेस की जांच कमेटी के सामने गवाही देंगे तो जब वह पेशावर लौटेंगे आवेंगे।

तब उन को एक या दूसरे बहाने से जेल में भेजा जायेगा। उपप्रमुख ने मुझे कहा था, कि इन कारणों से उन्होंने यह सूचना की थी कि वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के मार्ग में स्थित इन विघ्नों को जब तक दूर नहीं किया जाये, तब तक सरकारी जांच कमेटी अथवा कांग्रेस की जांच कमेटी के सामने कोई भी गवाही न दी जाय। अधिकारियों का इतना बड़ा जुल्म है कि कांग्रेस की जांच कमेटी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सहायता स्पष्ट रीति से नहीं की जा सकती। मैंने थाली पिटवा कर खबर करने की सलाह दी, परन्तु उन्हों-ने जवाब दिया कि ऐसा करना असम्भव है, क्योंकि चार मनुष्य भी एकत्रित मिल सकें ऐसी स्थिति नहीं है। चार पांच घंटे के महान् प्रयत्न के बाद में कठिनता से चार पांच कांग्रेस कार्य कर्ताओं से मिल सकता था, उन्हों ने भी खिलाफत कमेटी के उप-सभापती ने मुझे जो बातें कहीं थी, उसी का समर्थन किया, और इतना अधिक कहा था कि एक कांग्रेस कार्य कर्ता को कुछ दस्तावेजी प्रमाणों के साथ रावलपिण्डी भेजा गया है, परन्तु उन्होंने सुना है कि उ-स कार्यकर्ता की तलाशी ली गई है और उसे

ने उस के पास से रबदस्तावेजी प्रमाण छीन लिये हैं।
सभापति ने प्रश्न किया कि तुमने कहा कि फ़ौजी सिपाही लोगों को यहां आने से रोकते थे, तुम को क्यों किसी ने नहीं रोका।

उत्तरः- मुझे तो किसी ने नहीं रोका। कांग्रेस के लोगों से मैंने सुना था, फ़ौज ने रास्ता बन्द कर दिया था, मुझे किसी ने रोका नहीं क्योंकि खुफ़िया पुलिस मुझे जानती नहीं थी।

प्रश्नः- तुम कैसा कपड़ा पहिने थे?

उत्तरः- मैंने खादी का कपड़ा नहीं पहिना था, और टिकट का नम्बर किसी की दृष्टि में न आवे इस लिये ही मैंने खादी का कपड़ा नहीं पहिना था। कांग्रेस कमेटी के सभापती ने मुझे विदेशी कपड़ा पहिन कर जाने को कहा था।

हम लोगों को आश्चर्य हुया था कि कितने ही गवाह दो पहर को आ पहोंचे थे और हम लोगों ने उस दिन दो पहर के बारह बजे से रात के ६ बजे तक कुल ७७ गवाहों की गवाही ली थी। हम लोगों को कहा गया था पेशावर के लोगों को ध्यान में रख कर खिलाफ़त कमेटी ने हमारी कमेटी के सामने तथा सरकारी कमेटी (सुलेमान कमेटी) के सामने कोई भी गवाही नहीं देने के लिये लोगों को सलाह दी थी परन्तु पीछे से हमारी कमेटी के पक्ष में अपने निषेध आज्ञा में रूमी को पेशावर

निवासियों की एक बड़ी भारी तादादने जिस का कांग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था सुलेमान कमेटी को एक पत्र भेजा था जिस की नक़ल हमारे पास भी हमारे जानने के लिये उन्होंने भेजी थी। उस पत्र में उन्हों ने पेशावर में फ़ौजी शासन के संयोगों और कठिनाइयों की ओर सुलेमान कमेटी का ध्यान खींचा था और कहा था कि ऐसे संयोगों में गवाही देने की इच्छा रखने वाले लोग भी गवाही देते डरते थे इस लिये उन्होंने सुलेमान कमेटी से अपनी जांच स्थगित रखने की प्रार्थना की थी।

जिस बंगले में हम अपनी जांच कर रहे थे उस के ऊपर खुफ़िया पुलिस ने रात दिन विशेष प्रबन्ध रखा था और ऐसे संयोगों में हमें हमारी जांच का काम चलाना पड़ता था, तो भी आश्चर्य और संतोष की बात है कि इन कठिनायों के रहते हुए भी ७७ आदमी हमारे सामने गवाही देने को आये थे। उन्हों ने यह समझते हुए भी कि वह कितनी बड़ी जोखम उठा रहे हैं। अपनी गवाही दी थी। और वह जिस जोखम को उठा रहे थे, उस के परिणाम को भोगने के

के लिये उन्होंने अपनी तय्यारी बतादी थी। कितने ही गवाहों जो कि उन केजैसे साहसी नहीं थे अपनी आंखों में पानी के साथ अपने भाइयों के प्रति कार्य्य स्वरूप गवाही दी थी, यद्यपि उस का फल भोगना पड़ेगा, इस डर से वह कांप रहे थे। कितने ही गवाहों ने (उन्होंने हमारे कमेटी के सामने इस कारण से और इन संयोगो में गवाही दी थी) उसे भी बताया था।

रिपोर्ट में ऐसे गवाहों की गवाहियां नोट कर ली गई अन्त में कहा गया कि सत्तर कुल साक्षियों में से ३७ साक्षी मुसलमान और ३२ हिन्दु हैं, और उन में से कतिपय कांग्रेस के आन्दोलन के साथ सम्बन्ध रखने वाले हैं। इन सत्तर गवाहों में १६ व्यापारी, ३ वकालत करने वाले प्लीडर, ११ ज़मिंदार, इन में पेशावर के ज़मींदार एसोसियेशन के सभापति का भी समबिश हो जाता है, तीन स्कूल शिक्षक, चार विद्यार्थी, दो बैंकर तीन डाक्टर, पांच दलाल और कमीशन-एजेन्ट हैं। कितने ही आदमी जिन को कि गोलियों से अथवा संगीनों से चोट लगी थी, अथवा जिन के ऊपर

अन्य प्रकार से भी आक्रमण किया गया था, वे भी इन गवाहों में आ जाते हैं। समन्दर नामक गवाह की गवाही खास देखने योग्य है. उसको पेशावर से रावलपिंडी लाया गया था। वह चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं रह सकता था। उसके ऊपर मशीनगन दो बार चली गई थी. और अधिक में चार गोलियों के घाव हुए थे. इस से उसे अत्यन्त पीड़ा होती थी। हम लोगों ने तीन स्वतन्त्र डाक्टरों के पास उस की परिक्षा कराई थी। एक डाक्टर ने उस की परिक्षा के सम्बंध में सार्टिफिकेट हमारे सामने उपस्थित किया था,

अब हम अपनी रिपोर्ट पूरी करते हैं. अन्त में दिवान दौलतराय और मलिक जीवनलाल कपूर जो दोनों ही वकील हैं, और जिन्होंने भारी आत्म भोग सम्पर्ण कर कर और कठिनाइयों को सहन कर २ पूरी जांच में उपस्थित रह कर बहु मूल्य सूचनायें की थीं उन की सेवाओं के लिये हम लोग उन का उपकार मानते हैं। आनेरी सेक्रेट्री नि० आर- एस- पण्डित ने जांच

के हरेक समय में जो सेवाएं की हैं और नोट तय्यार करने में भी जो सेवायें की हैं अमूल्य हैं, उन्हीं में तथा बम्बई के स्टूडेन्ट्स ब्रदरहुड वाले मि॰ श्रीधार मुन्शि जिन्होंने इस रिपोर्ट का प्रूफ देखा है, उन का भी यह कमेटी आभार मानती है, अन्त में सरहद प्रान्त के लोग सब से जियादा कठिन संयोग में भी अपनी समस्त आन्दोलन में हिंसा के सिद्धान्त को दिल के साथ पालते रहे उन सब को हम लोग प्रशंसा करते हैं।

हस्ताक्षर

वी. जे. पटेल

एस. एम. किफायतुल्ला

गल दुनीचन्द

मि॰ किफायतुल्ला का नोट गत ता॰ २३ वी अप्रैल के दिन मि॰ मेटकाफ के पत्थर से घाव लगा था इस बहुमति निर्णय के सिवाय में समस्त रिपोर्ट के साथ सहमत हूं। हमारे पास

दी गई गवाहियों पर से यह सिद्ध नहीं किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर को पत्थर से घाव लगा था। यद्यपि एक गवाह मोहम्मद करीम खां ने इस से उल्टा कहा था कि डिप्टी कमिश्नर कांपने से थाने की सीढ़ी की ओर दौड़ता हुवा नीचे गिर गया था, और उस के सिर में सीढ़ी का किनारा लग गया था, और इस रीति से उसे चोट आई थी।

हस्ताक्षर

एम. रफ़ीक़ फ़ातल्ला

कांग्रेस बुलेटिन प्रेस दिल्ली
में छपी